सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) अन्तर्गत वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के लिये गृह विभाग के अधीन कार्यरत विभाग/अनुभागों की 16श्रेणियों/ बिन्दुओं पर सूचना।

<u>सूचना का अधिकार में आवेदन हेतु प्रक्रिया</u>

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हुते आवेदन निर्धारित शुल्क रूपये 10.00 की धनराशि नकद, भारतीय पोस्टल आर्डर, जो प्रधान डाकघर, लखनऊ के पक्ष मे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंसशुदा बैकों के डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चेक, मुख्य शाखा, लखनऊ (जो निम्नांकित अधिकारी के पक्ष में देय हो) के माध्यम से ग्राहृय होंगे:-

जनसूचना अधिकारी(समन्वय) / उपसचिव,
गृह सचिव शाखा,
उत्तर प्रदेश शासन।

1-	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	1-	गृह विभाग मुख्य रूप से कानून व्यवस्था को चुस्त एवं दुरूस्त बनाये रखने हेतु उत्तरदायी है। गृह विभाग में नीति विषयक निर्णय कराने, बजट तैयार कर विधायिका से अनुमोदन के पश्चात् धनराशि अवमुक्त करने, सी.आई.डी. को प्रकरण संदर्भित करने, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन का निर्णय लेने, शस्त्र लाईसेंसों की सीमा विस्तार संबंधी कार्य संपादित किया जाता है।साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त मामलों का अनुश्रवण करने, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कार्यों, विधानसभा/विधान परिषद में प्रश्नों के उत्तर देने, भारत सरकार से पुलिस संबंधी मामलों में समन्वय तथा राज्य में कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों का भी निष्पादन किया जाता है। विभाग द्वारा नागरिकों, अति विशिष्ट व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण अधिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। उपरोक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु वर्तमान में प्रमुख सचिव के सहायतार्थ सचिव, विशेष सचिव, उपसचिव/अनुसचिव और ओ.एस.डी. कार्यरत हैं। विभागाध्यक्ष स्तर पर पुलिस महानिदेशक के अतिरिक्त, महानिदेशक (अभियोजन), महानिदेशक (सी० बी० सी० आई० डी०), महानिदेशक (अग्निशमन सेवाएं), महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं), महानिदेशक (प्रशिक्षण सेवाएं), महानिदेशक (विशेष जांच) एवं महानिदेशक

			(कारागार एवं सुधार विभाग) नियुक्त हैं। अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन भ्रष्टाचार निवारण संगठन कार्यरत हैं जिन्हें इस कार्यालय में प्राप्त शिकायतें संदर्भित की जाती हैं। पुलिस विभाग की आवास एवं भवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम स्थापित है, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है। शासन स्तर पर प्रमुखतः भारतीय पुलिस सेवा एवं प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के सेवा संबंधी मामले निस्तारित किये जाते हैं। पुलिस एवं जेल सुधार पर नीति निर्धारण का कार्य भी गृह विभाग में किया जाता है।
		2-	गृह विभाग के अधीन कार्यरत अनुभागों द्वारा व्यवहृत किये जाने वाले कार्यों का विवरण अनुभागवार http://uphome.gov.in पर अवलोकनीय है।
2-	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	1-	मा० मुख्यमंत्री जी------ नीति विषयक मामले
		2-	प्रमुख सचिव,गृह----- समस्त प्रशासनिक कार्य एवं मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधिकृत अधिकार
		3-	सचिव एवं अधीनस्थ अधिकारी गण----- प्रमुख सचिव, गृह द्वारा प्राधिकृत प्रशासनिक कर्तव्य एवं अधिंकार।
3-	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तर दायित्व के माध्यम सम्मिलित है।		अनुभाग कार्यालय में व्यवहारित होने वाले सभी कार्यो की पत्रावलियाँ अनुसचिव/उपसचिव/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/ सचिव/ प्रमुख सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री (मा० मुख्यमंत्री जी) को प्रस्तुत की जाती है और निर्णय प्रमुख सचिव/ विभागीय मंत्री के स्तर पर लिया जाता है। सभी अधिकारी प्रमुख सचिव/ विभागीय मंत्री (मा० मुख्यमंत्री) के प्रति जवाबदेह है।
4-	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान		सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सचिवालय मैनुअल मे कार्य के मानक निर्धारित किये गये हैं।
5-	अपने द्वारा या अपने नियंत्राधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निदेशिका और अभिलेख		उ०प्र० कार्य नियमावली-1975 उ०प्र० सचिवालय अनुदेश-1975
6-	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा		अनुभाग को आबंटित कार्य से संबधित पत्रावलियाँ जिन्हें अनुभाग को

<table>
<tr><td></td><td>धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है।</td><td></td><td>आवंटित कार्य के अनुसार देखा जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>7-</td><td>किसी व्यवस्था के विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है</td><td></td><td>पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें विभागाध्यक्ष के रूप में परामर्श के लिये है।</td></tr>
<tr><td>8-</td><td>बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदो, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगो के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है।</td><td></td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>9-</td><td>अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10-</td><td>अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11-</td><td>सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट</td><td></td><td>1-वर्ष 2014-15 हेतु गृह विभाग(पुलिस) के अन्तर्गत बजट का प्राविधान निम्नवत है:-

(धनराशि रूपये मे)
<table>
<tr><td></td><td>राजस्व</td><td>पूंजी</td><td>योग</td></tr>
<tr><td>1- मतदेय</td><td>116418584000</td><td>7578000000</td><td>123996584000</td></tr>
<tr><td>2- भारित</td><td>7500000</td><td>0</td><td>7500000</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td></td><td></td><td>124004084000</td></tr>
</table>
2- वर्ष 2014-15 हेतु गृह (कारागार) विभाग के अन्तर्गत मूल बजट का प्राविधान निम्नवत है:-

(धनराशि रूपये लाख में)
<table>
<tr><td></td><td>राजस्व</td><td>पूंजी</td><td>योग</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1- मतदेय</td><td>49270.19</td><td>23423.71</td><td>72693.00</td></tr>
<tr><td>2- भारित</td><td>10.00</td><td>---</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>49280.19</td><td>----</td><td>72703.90</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12-</td><td>सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे</td><td></td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>13-</td><td>अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारी के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ</td><td></td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>14-</td><td>किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों</td><td></td><td>विभाग से संबंधित जन उपयोगी शासनादेशों को गृह विभाग के पोर्टल http://uphome.gov.in पर अपलोड़ किया गया है।</td></tr>
<tr><td>15-</td><td>सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।</td><td></td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>16-</td><td>जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।</td><td></td><td></td></tr>
</table>